न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 03/2024

प्रार्थीगण

1 जितेन्द्र पुत्र मलुकचन्द
2 दीपक पुत्र मलुकचन्द
3 धनेश पुत्र मलुकचन्द
4 मलुकचन्द पुत्र मिश्रीमल
5 सौभाग देवी पत्नी मलुकचन्द
जातियान–ओसवाल (जैन)
निवासीगण–सांचौर, तहसील
व जिला –सांचौर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कृष्णलाल पुत्र रगनाथ
2 खुमा पुत्र नवा
3 चेला पुत्र लखमा
4 नानजीराम पुत्र रगनाथ
5 परखा पुत्र लखमा
6 हीरा पुत्र लखमा
जातियान–कलबी, निवासीगण–
पलादर, तहसील व जिला–सांचौर
7 सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार सांचौर
8 युको बैंक शाखा सांचौर
9 भारतीय स्टेट बैंक शाखा सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 29.05.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानदास वैष्णव व श्री विजय रत्नेश उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 9 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पुरोहित उपस्थित, जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 01.08.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, जिसे कार्यालय टिप्पणी के बाद प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके सरहद मौजा छोटी विरोल पटवार हल्का विरोल में प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जा काश्त का खेत खाता संख्या 244 के खसरा संख्या 598 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा संख्या 599 रकबा 1.60 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.30 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी कब्जा काश्त के खेत की माठे कायम है। प्रार्थीगण के उक्त खेत के उतरी माठ से लगते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के खेत खसरा संख्या 965 रकबा 1.50 हैक्टेयर आया हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बिच माठों को लेकर आये दिन विवाद होता आ रहा है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत पर बनी [illegible] तोड़कर नुकसान कारित कर रहे है जिससे विवाद की स्थिति में हमेशा [illegible] में भारी अवरोध पैदा हो जाता है। उपरोक्त खेत की पैमाईश हेतु प्रार्थीगण ने तहसीलदार सांचौर को प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 29.09.2023 को हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 08.12.2023 को पटवारी द्वारा तहसीलदार सांचौर को पेश की, जिसमें विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 15:54:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

की स्थिति स्पष्ट की गई है। प्रार्थीगण उक्त विवाद को लेकर अपने खेत की नेखमबंदी (पत्थरगढ़ी) करना चाहते है जिससे विवाद नहीं रहे। इसका स्थाई हल मात्र खेत की स्थाई नेखमबंदी, पत्थर, चीणें, दीवार आदि बनाकर ही हो सकता है। प्रार्थना–पत्र के संलग्न राजस्व ट्रेस नक्शा प्रस्तुत है। राजस्व ट्रेस नक्शे में अंकित माठों के अनुसार मौके पर भी माठे मौजूद है। उक्त माठों अनुसार तथा नक्शें में अंकित सीमा अनुसार प्रार्थीगण नेखमबंदी करवाने के कानुनी अधिकारी है। जिससे हमेशा के लिए सीमा विवाद समाप्त हो जायेगा।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा छोटी विरोल पटवार मण्डल विरोल में प्रार्थीगण के खातेदारी का मालिकाना हकहकूक कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 598 रकबा 1.70 हैक्टेयर व खसरा संख्या 599 रकबा 1.60 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.30 हैक्टेयर भूमि की राजस्व नक्शा में तरमीम अनुसार सीमा का स्थायी नेखमबंदी हेतु पत्थरगढ़ी चीणें से करने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी, अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 598 व 599 की माठ आदि तोड़कर प्रार्थीगण को नुकसान कारित कर रहे है। जिससे विवाद की स्थिति में हमेशा काश्त के मौसम में खेती करने में भारी अवरोध पैदा हो जाता है। इस कारण उपरोक्त खेतों की पैमाईश कर प्रार्थीगण के खेतों की सीमा पर नेखमबंदी (पत्थरगढ़ी) किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण में अप्रार्थीगण बावजूद तामील (सूचना) के हाजिर नहीं आए तथा ना ही प्रार्थना–पत्र का जवाब से प्रतिकार किया तथा न ही इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया कि जिससे यह माना जावे कि खसरा संख्या 598 व 599 के खेत की माठों का विवाद न हो इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब एवं कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं करने की सूरत में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा मौका फर्द, जमाबंदी की नकलें पेश की, जिसमें उपरोक्त खेतों की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि वाके सरहद मौजा छोटी विरोल, पटवार मण्डल विरोल के खेत खसरा संख्या 598 रकबा 1.70 हैक्टेयर व खसरा संख्या 599 रकबा 1.60 हैक्टेयर भूमि का दोनों पक्षों की उपस्थिति में नाप कर उपरोक्त खेतों की सीमा पर स्थाई नेखमबंदी करवाई जावे। स्थाई नेखमबंदी [illegible] खर्चा प्रार्थीगण स्वंय वहन करें। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ [illegible] मुताबिक निर्मित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 15:54:51 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर